

श्रीमान जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022 | 208

प्रार्थी गुरशरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस सदस्य प्रमाण पत्र पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता स्वर्ण सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 02.07.2019 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 12.08.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 02.07.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान मनिन्द्र सिंह पुत्र गुरशरण सिंह एवं सिमरनजीत कौर पत्नी रसाल सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महीदय

29/11/22

29/11/22